



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052024-254041  
CG-DL-E-08052024-254041

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1801]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2024/वैशाख 12, 1946

No. 1801]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 12, 1946

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय संस्कृति निधि)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2024

**का.आ. 1893(अ).**—सचिव, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग वह व्यक्ति है जो राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली की निधियों को पूर्ण प्रयोजनों के लिए न्यास में लगाने का प्रस्ताव करता है और उसने इससे संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित निधि को भारत के पूर्ण विन्यास कोषाध्यक्ष में निहित करने तथा उक्त निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए एक स्कीम के परिनिर्धारण के लिए आवेदन किया है।

यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार, पूर्ण विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोक्त आवेदन पर तथा उक्त सचिव की सहमति से यह आदेश करती है कि इससे संलग्न अनुसूची "क" में उपवर्णित धनराशि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भारत के पूर्ण विन्यास के कोषाध्यक्ष और इसके पदोत्तरवर्ती में निहित होगी जो उक्त धनराशि तथा उसकी आय को न्यास और उक्त निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए इससे संलग्न अनुसूची "ख" में दी गई स्कीम में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अनुसार धारण करेंगे।

और यह अधिसूचित किया जाता है कि इससे संलग्न अनुसूची "ख" में विनिर्दिष्ट स्कीम, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उक्त निधि के प्रशासन के लिए निर्धारित की गई है। यह भी आदेश किया जाता है कि यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची "क"

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

भारत सरकार के संस्कृति विभाग के योजना बजट में से राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लिए दो करोड़ रुपए का अभिदाय करना

अनुसूची "ख"

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के प्रशासन के लिए निदेश

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : —

- i. इन निदेशों का नाम राष्ट्रीय संस्कृति निधि निदेश, 1996 है।
- ii. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :— इस निदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- क. "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- ख. "समिति" से पैरा 11 के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;
- ग. "परिषद्" से पैरा 7 के अधीन गठित परिषद् अभिप्रेत है;
- घ. "निधि" से राष्ट्रीय संस्कृति निधि अभिप्रेत है;
- ङ. "सदस्य सचिव" से पैरा 7 के अधीन नाम निर्दिष्ट परिषद् का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;
- च. "पैरा" से स्कीम का पैरा अभिप्रेत है;
- छ. "सभापति" से समिति का सभापति अभिप्रेत है;
- ज. "सम्पत्ति" से निधि से संबंधित सम्पत्ति अभिप्रेत है।

3. निधि के उद्देश्य :— निधि के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

- i. संरक्षित या अन्यथा संस्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, संवर्धन, परित्राण, परिरक्षण और उन्नयन के लिए निधि की धनराशि का प्रशासन और उसका उपयोग करना;
- ii. सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण, अनुरक्षण, संवर्धन, परित्राण, परिरक्षण और पुनर्वास में अन्तर्वलित कलात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याओं से संबंधित अध्ययनों का संचालन करना;
- iii. मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की सांस्कृतिक विरासत तथा प्राकृतिक विरासत की पहचान, परित्राण, संरक्षण, परिरक्षण और पुनर्वास के क्षेत्रों के सभी स्तरों के कर्मचारिवृन्द और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना;
- iv. समस्त रूपों में कलात्मक प्रयास और विशिष्टतया कलाओं में नूतन प्रयोगों का परित्राण और संवर्धन;
- v. सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के मौखिक और अन्य अमूर्त रूपों का संवर्धन और प्रबलन करना तथा उन रूपों का अभिलेखन दस्तावेजीकरण करना जो समाप्त हो रहे हैं या निर्वादन से आशंकित हैं;
- vi. सांस्कृतिक क्षेत्र में पारम्परिक मूल्यों और विकास प्रक्रिया के बीच पारस्परिक प्रभाव जैसे क्षेत्रों में अन्तर्विषयक अनुसंधान का संवर्धन और प्रबलन, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की समकालीन गतिकी बनती है;
- vii. विद्यमान संग्रहालयों में नयी और विशेष वीथिकाओं के आवासन के लिए अतिरिक्त जगह तथा नए संग्रहालयों का निर्माण करना;
- viii. सांस्कृतिक विकास की स्थानीय, नगरपालिका या प्रादेशिक युक्तियों का निरूपण करना, जो हमारे समाज के समस्त विकास के भागरूप के रूप में देखा जाता है;
- ix. उन संस्थाओं, ढांचों और सुविधाओं की स्थापना या प्रबलन करना जिनका प्रयोजन सांस्कृतिक या कलात्मक है, जिसमें ऐसे क्रियाकलापों के समर्थन के लिए उपलब्ध व्यवस्था सम्मिलित है;
- x. सांस्कृतिक प्रबंधक और प्रशासकों के काडर के सृजन पर विशिष्टतः जोर देते हुए सांस्कृतिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना;

xi. सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के अनुरक्षण, संवर्धन, परित्राण और परिरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को उपस्कर प्रदाय करना;

xii. अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग विशिष्टितः ऐसे विनियोग का संवर्धन करना जो देशी विशेषज्ञता और मानव संसाधनों के विकास का संवर्धन करें और वे क्रियाकलाप जो भारत और अन्य देशों के बीच किए गए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों की परिधि में आते हैं;

xiii. पूर्वोक्त उद्देश्यों में किन्हीं से संबंधित परियोजना और क्रियाकलापों के लिए कम ब्याज पर या ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।

4. निधि की आस्तियाँ :-

(1) ऐसी धनराशि के अतिरिक्त जिसकी विशिष्टियाँ इस अधिसूचना की अनुसूची "क" में दी गई हैं। निधि की आस्तियों के अंतर्गत क. भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के योजना बजट में से सत्तर करोड़ पचास लाख रुपए दिए जाने का उपबंध; और

ख. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से आवर्ती और अनावर्ती ऐसे सभी अनुदान और अभिदाय सम्मिलित होंगे और साथ ही किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त ऐसे स्वैच्छिक क्षति और विन्यास भी जब प्राप्त किए जाए

सम्मिलित होंगे;

(2) निधि, संसद या विधान मंडलों के अधिनियमों के अधीन सृजित कानूनी निकायों, संयुक्त राष्ट्र और इसके सहबंध निकायों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी और लोक निगमित सेक्टरों, न्यासों, सोसायटियों और व्यष्टिकों से भी अभिदाय स्वीकार कर सकेगा।

परन्तु व्यष्टिक या किसी संगठन से धन राशि स्वीकार करने की दशा में या अन्यथा परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा।

5. निधि की आस्तियों का निहित होना : - निधि की आस्तियाँ स्कीम के अधीन भारत के लिए पूर्व विन्यास के कोषाध्यक्ष में निहित होंगी।

6. पूर्ण विन्यास का कोषाध्यक्ष निधि के प्रबंध या प्रशासन का कार्य नहीं करेगा, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी साधारण या विशेष निदेश के अधीन रहते हुए ऐसा प्रबंध और प्रशासन परिषद् में निहित होगा।

7. परिषद् का गठन :- निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिषद् गठित करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलाकर बनेगी, अर्थात् :-

क.	1.	माननीय संस्कृति मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
	2.	सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
	3.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
	4.	वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
	5.	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य (पदेन)

अशासकीय सदस्य

6. विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह से अन्धून् और उन्नीस से सदस्य  
अनधिक प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके अन्तर्गत निगमित सेक्टर, प्राइवेट प्रतिष्ठान  
और वे स्वैच्छिक संगठन है जो लाभ नहीं लेते हैं।

7. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के उप सचिव के स्तर से अन्धून् सदस्य-सचिव (पदेन)  
कोई अधिकारी

ख. अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य उपाध्यक्ष और एक सदस्य परिषद् का संयुक्त सचिव नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

8. परिषद् की बैठक :- परिषद् नीति से संबंधित सभी मामले या विधि से संबंधित ऐसे मुद्दों का विनिश्चय करने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करेगी जिस पर समिति द्वारा इसके विनिश्चय की अपेक्षा की गई है।

9. परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति और परिषद् के विनिश्चय :

i. परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति परिषद् की सदस्य संख्या का 2/3 होगी जिसमें से कम से कम 3 पदेन सदस्य होंगे जिसमें उपाध्यक्ष भी है;

ii. वे सभी मामले जिस पर परिषद् का विनिश्चय अपेक्षित है, सर्वसम्मति से विनिश्चित किए जाते हैं ऐसा न होने पर उस प्रश्न पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

10. परिषद् के कारबार का संचालन :

i. परिषद् अपने गठन में किसी रिक्ति के होते हुए भी कृत्य कर सकेगी परन्तु फिर भी किसी भी समय रिक्तियों की संख्या इतनी नहीं होगी कि परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति की अपेक्षित सदस्य संख्या से ऐसी कुल सदस्य संख्या कम नहीं होगी।

ii. इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर, जैसा यह ठीक समझे उनसे कारबार के संचालन के लिए उप-नियम बना सकेगी।

11. कार्यकारिणी समिति :— केन्द्रीय सरकार, निधि के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

(1)	सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय	अध्यक्ष (पदेन)
(2)	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
(3)	वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
(4)	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य (पदेन)
(5)	परिषद् के 6 सदस्य, प्रबन्धन और निधि एकत्रित करने में उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं।	सदस्य
(6)	परिषद् के सदस्य-सचिव	सदस्य-सचिव (पदेन)

कार्यकारिणी समिति को, विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाने का प्राधिकार होगा।

12. गणपूर्ति :-

i. कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति की सदस्य संख्या का 2/3 होगी जिसमें अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए कम से कम दो पदेन सदस्य होंगे।

ii. वे सभी मामले जिन पर समिति का विनिश्चय अपेक्षित है सर्वसम्मति से विनिश्चित किए जाएंगे। ऐसा न होने पर उस प्रश्न पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

13. समिति की बैठक :- समिति की बैठक आवश्यकतानुसार परन्तु वर्ष में कम से कम चार बार होगी।

14. उपविधियों की विरचना :- परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर निम्नलिखित के लिए उपविधियां बना सकेगी :-

क. विनियमन, प्रबन्धन अधिकारियों की नियुक्ति और उनके निबंधन और शर्तों के लिए तथा निधि के उद्देश्यों के पालन और प्रबन्धन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए; और

ख. परिषद् के कारबार के संचालन के लिए।

15. विनिधान :-

क. परिषद्, निधि के विनिधान की समस्त नीति विनिश्चित करेगी। समिति, न्यास धन के विनिधान के लिए जैसा वह उचित समझे, विधि द्वारा तत्समय प्राधिकृत विनिधानों की किसी एक या अधिक रीति से निधि की आस्तियों का विनिधान कर सकेगी।

ख. अल्पकालिक विनिधान : समिति, निधि के उस धन का जो तुरन्त अपेक्षित न हो सावधि जमा प्रमाणपत्रों में अल्पकालिक आधर पर विनिधान कर सकेगी।

16. शक्तियों का प्रत्यायोजन :-

i. परिषद्, नीति विनिश्चय मामलों और समिति की उपविधियों की विरचना की शक्ति को छोड़कर अपनी किसी भी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगी।

- ii. समिति किसी प्रयोजन के लिए सृजित उस समिति या उस समितियों या उसके किसी सदस्य को अपनी ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जो समिति की राय में अनुसचिवीय कार्य है और जिसमें कोई विवेक अन्तर्वलित नहीं है या जो आवश्यक सामान्य प्रथा के अनुरूप है।
17. संविदाएं :- सभी संविदाओं और अन्य आश्वासनों का निष्पादन परिषद् के नाम से होगा और उसकी ओर से राष्ट्रीय संस्कृति निधि के भारसाधक संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा परिषद् के सदस्य की हैसियत में या रूप से हस्ताक्षरित होगा या परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत समिति के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
18. अतिरिक्त पूर्त :-
- i. परिषद्, निधि में वृद्धि के लिए या अपने उद्देश्यों में से किसी की पूर्ति के लिए कोई पूर्त, दान, काउड फंडिंग या अन्य अभिदाय स्वीकार कर सकेगी;
- ii. परिषद् इस स्कीम के संबंध में किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए पूर्त, दान या अन्य अंशदान स्वीकार कर सकेगी जो स्कीम के उपबंधों के सम्यक् कार्य से सुसंगत नहीं है या उसके सम्यक् कार्यकरण में बाधा डालेगा।
- iii. निधि के किसी दानकर्ता के लिए यह संभव होगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट अवस्थान/पहलू सहित किसी परियोजना के वित्त पोषण के लिए और परियोजना के निष्पादन के लिए किसी अभिकरण का निधि की साधारण नीति, मार्गदर्शक सिद्धान्तों और नियम, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए दान करते समय उपदर्शित कर सकता है। जहां तक संभव होगा परिषद् या समिति दाता की इच्छा को पूरा करेगी यदि इसे दाता दान या अन्य अभिदायों को स्वीकार करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो। यदि दाता की परियोजना के अन्तर्गत विश्व विरासत स्थल हो तो मामले पर स्थल के आस-पास के वातावरण का ध्यान रखने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए विनिर्दिष्टतः विचार करने की आवश्यकता है। यह तथ्य भी ध्यान में रखा जाए कि पहले उनके लिए पारम्परिक स्रोत से पर्याप्त निधि उपलब्ध होगी।
19. वित्तीय सहायता की पात्रता :- किसी राज्य सरकार या कला और संस्कृति की सेवाओं के क्षेत्र में सुज्ञात ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अंतिम दो वर्ष के लिए कम से कम लोक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी विनिर्दिष्ट परियोजना के लिये निधि से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। व्यक्ति इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के हकदार नहीं हैं।
20. परिषद् को आवेदन :- वित्तीय सहायता के लिए या निधि स्वैच्छिक संगठन के अधीन आवेदन इस स्कीम से उपाबद्ध परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होंगे।
21. वित्तीय सहायता या निधि के अधीन उधार परियोजना निष्पादन करने वाले निकाय की प्रास्थिति और दाताओं की इच्छाओं को भी ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा विनिश्चय किया जा सकता है : परन्तु निधि के अधीन वित्तीय सहायता के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।
22. आवेदन पर विचार : निधि से वित्तीय सहायता या उधार के लिए सभी आवेदनों पर विचार और उनका निपटारा समिति द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे विनिश्चयों की सूचना परिषद् को दी जाएगी :
- परन्तु किसी आवेदन पर विचार करने से पहले, समिति का सभापति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो ऐसे आवेदन को संबंधित राज्य सरकार या किसी अन्य निकाय को उस पर उनके विचार जानने के लिए भेज सकता है।
23. वित्तीय सहायता रोकने की शक्ति :- समिति का सभापति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे और कारण जो लेखबद्ध किए जाएंगे, स्कीम के अधीन दी गई किसी असंवितरित वित्तीय सहायता को कम कर सकता है या रोक सकता है।
24. वित्तीय सहायता की शर्तें :- किसी भी स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता की यह शर्त होगी कि स्वैच्छिक संगठन या यथास्थिति, प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के लिए पृथक लेखा रखेगा। नियत समय के भीतर वित्तीय सहायता का सम्पूर्ण लेखा देगा और इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपयोग-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, नियत समय के भीतर प्राप्त वित्तीय सहायता का संपरीक्षित लेखा उपलब्ध करवाएगा, निधि के अधिकारियों या ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, ऐसे संगठनों द्वारा निष्पादित कार्यक्रमों या उनके द्वारा रखी गई बहियों के निरीक्षण के लिए सहायता करेगा।
25. सदस्यता की अवधि :-
1. परिषद् या समिति का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है या पागल या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता के किसी दांडिक अपराध के लिए दण्डित किया जाता है।
  2. परिषद् और समिति में अशासकीय सदस्यों का नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

3. अशासकीय सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।
4. सदस्य पुनः नाम-निर्देशन के लिए भी पात्र होगा।
26. सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य : सदस्य सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :
  - क. परिषद् और समिति के सभी अभिलेखों का अभिरक्षक;
  - ख. परिषद् और समिति की ओर से शासकीय पत्राचार करना;
  - ग. परिषद् और समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी सूचनाएं जारी करना;
  - घ. परिषद् और समिति की और ऐसे अन्य निकायों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना और ऐसे अन्य जिनकी बैठकें आयोजित करने का उसका दायित्व है;
  - ङ. निधि के अधीन धनराशि की सम्पत्तियों का प्रबन्ध, लेखे बनाए रखने और परिषद् की ओर से सभी संविदाओं का निष्पादन;
  - च. परिषद् और समिति के प्रशासनिक व्ययों से संबंधित बजट तैयार करना जैसे कि सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तों पर व्यय जो कि निधि पर विधिसंगत प्रभार होगा।
  - छ. सभी शक्तियों का प्रयोग और अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसे कि परिषद् और समिति द्वारा उसको सौंपे जाएं।
27. निधियों का आबंटन : समिति निधि की कुछ धनराशि के समानुपात को अवधारित करेगी जो किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के प्रयोजन के लिए लागू होगी।
28. निधि का निकाला जाना :
  - i. परिषद् के खातों से निधि को निकाला जाना समिति द्वारा अवधारित रीति से विनियमित किया जाएगा।
  - ii. रु. 2,00,000/- से अनाधिक तक की रकम के मामले में सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अन्य मामलों में सदस्य सचिव तथा समिति द्वारा अधिकृत अन्य सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित चेक/आरटीजीएस या अध्यापेक्षा (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ऐसी रकम निकाली जाएगी।
29. समिति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करेगी जैसा कि वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्ति पारिश्रमिक और यात्रा भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा प्रत्येक मामले में समिति द्वारा अवधारित किया जाए।
30. सदस्यों और अधिकारियों को पारिश्रमिक :
  - i. परिषद् और समिति के किसी सदस्य को कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा, परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाली दर पर यात्रा और दैनिक भत्ते के संदाय के सिवाय;
  - ii. परिषद् और समिति के शासकीय सदस्य उस स्रोत से जिससे वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे उन्हें अनुज्ञेय हों।
  - iii. परिषद् और समिति के अशासकीय सदस्य ऐसे पारिश्रमिक और यात्रा तथा अन्य भत्ते जैसे कि परिषद् द्वारा बनाई गई उप-विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पाने के हकदार होंगे।
31. लेखाओं की लेखापरीक्षा
  - i. निधि की सभी धनराशि और सम्पत्तियां तथा आय और व्यय के लेखे सदस्य सचिव द्वारा रखे जाएंगे और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे, जो प्रमाणित करेगा कि निधि से व्यय इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार किया गया है।
  - (ii) निधि के वार्षिक लेखाओं का विवरण परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा इनकी संपरीक्षा और प्रमाणन तथा परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को परिषद् के सदस्य-सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये लेखे सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
32. वार्षिक रिपोर्ट : राष्ट्रीय संस्कृति निधि के प्रत्येक वर्ष के कार्यकरण पर सदस्य सचिव द्वारा जून मास से तैयार की जाएगी और परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट संसद के सदन के पटल पर रखी जाएगी।

## परिशिष्ट

(अनुसूची ख का पैरा 20 देखें)

राष्ट्रीय संस्कृति निधि, 1996

अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए मानक प्ररूप

1	संगठन का नाम और पता* :	
2	संगठन की प्रकृति :	
3	संगठन के स्थापना की तारीख :	
4	संगठन के आरम्भ से लेकर उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त इतिहास और संक्षिप्त विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग शीट संलग्न करें)	
5	क्या संगठन इस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ? यदि है तो ब्यौरा दें :	
6	क्या संगठन राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर का है ?	
7	क्या संगठन को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से सहायता प्राप्त होती है ? यदि है तो ब्यौरा दें :	
8	क्या संगठन को किसी कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार से जिसके अंतर्गत इसके अधीन स्वायत्त निकाय और कानूनी निकाय भी सम्मिलित हैं, से सहायता प्राप्त होती है ? यदि हां तो ब्यौरा दें :	
9	क्या संगठन को किसी कार्यक्रम के लिये राज्य सरकार की सहायता प्राप्त होती है ? यदि हां तो प्रत्येक अनुदान के संबंध में रकम वर्ष और प्रयोजन सहित अलग-अलग ब्यौरा दें :	
10	क्या संगठन को संस्कृति मंत्रालय के किसी स्वायत्त संगठन से सहायता प्राप्त होती है ? यदि हां तो प्रत्येक अनुदान के संबंध में रकम, वर्ष और प्रयोजन सहित अलग-अलग ब्यौरा दें :	
11	क्या संगठन को भारत में या विदेश में किसी अन्य संगठन से नकद या वस्तु के रूप में अनुदान मिलता है ? यदि हां तो ब्यौरा दें :  *इस प्रोफार्मा में संगठन, जहां-जहां आता है, में राज्य सरकारें भी सम्मिलित है।	
12	प्रस्ताव का ब्यौरा :  क. परियोजना का शीर्षक और कार्यान्वयन का स्थान ..... ..... ..... ..... .....	

	<p>ख. परियोजना कार्यान्वयन की तारीखें वित्तीय अंशदान</p> <p>i. प्रारंभ की तारीख</p> <p>ii. समापन की तारीख</p> <p>ग. अनुरोध की गई सहायता की किस्म वित्तीय अभिदाय अनुरोध की गई सहायता की किस्म</p> <p>i. अध्ययन/अनुसंधान और आगे प्रशिक्षण अनुदान</p> <p>ii. प्रकाशन, नियतकालिक पत्रिका और प्रलेखन</p> <p>iii. उपस्कर</p> <p>iv. सम्मेलन/बैठक या संगोष्ठी</p> <p>v. संस्मारकों जिनके अन्तर्गत अनुषंगिक भूदृश्य/वातावरण उन्नयन भी सम्मिलित है, का संरक्षण/अनुरक्षण/उन्नयन</p> <p>vi. प्रदर्शनी/नाट्यशाला प्रस्तुतियां/सांस्कृतिक प्रस्तुति</p> <p>vii. परामर्श सेवाएं</p> <p>viii. निर्माण अनुदान</p> <p>ix. उधार</p> <p>x. यात्रा सहायिकी</p> <p>xi. कोई अन्य मद</p>	
13	सहायता प्राप्त करने वाले संगठन का वित्तीय अभिदाय। राष्ट्रीय संस्कृति निधि से मांगी सहायता की रकम	
14	परियोजना का विवरण	
15	वे क्रियाकलाप जिनसे परियोजना संबंधित है (कृपया निधि का उद्देश्य देखें):	
16	परियोजना का भौगोलिक समावेश : अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय राज्य जिला	
17	परियोजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार निकाय का नाम	
18	लाभान्वित संस्था	



19	<p>आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाए :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र</li> <li>ii. संगठन का संविधान, ज्ञापन अनुच्छेद और लक्ष्य तथा उद्देश्य</li> <li>iii. अंतिम दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (प्रत्येक वर्ष की अलग रिपोर्ट), इस रिपोर्ट में शुरू किए गए प्रत्येक कार्यक्रम और वस्तुतः प्राप्त लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। परियोजना/क्रियाकलापों के स्थान का भी उल्लेख होना चाहिए।</li> <li>iv. प्रबंध बोर्ड कार्यकारिणी समिति के वर्तमान सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची, समिति के गठन की तारीख तथा वर्तमान कालावधि, (तारीख लिखें)</li> <li>v. संगठन के कर्मचारिवृन्द (नाम, वेतनमान, वर्तमान परिलब्धियों का उल्लेख करें)</li> <li>vi. सम्पूर्ण संगठनों के लेखों का लेखापरीक्षित विवरण</li> <li>क. तुलन-पत्र, ख. आय और व्यय का लेखा, और ग. चार्टर्ड एकाउन्टेंट या सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित प्राप्त और संदाय खाता। अन्तिम दो वर्षों का विवरण प्रस्तुत किए जाना चाहिए।</li> <li>vii. कोई अन्य दस्तावेज जिसे संगठन संलग्न करना चाहे।</li> </ul>
----	---

सूचना नहीं देने या गलत सूचना देने का परिणाम संस्वीकृति का निरस्तीकरण/अनुदान की वसूली और/या कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो सकता है।

संगठन के सचिव के हस्ताक्षर

नाम .....

स्थान .....

तारीख .....

अधिक जानकारी के लिए संलग्न टिप्पण देखिए।

टिप्पण

1. राष्ट्रीय संस्कृति निधि का उद्देश्य प्रमुखतः कॉरपस निधि पर प्रोद्भूत ब्याज से और दानदाताओं के अंशदान से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को अनुदान मंजूर करना है।
2. राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अधीन समकालीन भारतीय संस्कृति के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को पल्लवित करने और दोनों को अधिसंख्य नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाएगी।
3. निधि के अधीन उन सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को सहायता उपलब्ध नहीं होगी जो किसी स्कीम के अधीन संस्कृति मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या स्वायत्त संगठनों से पहले ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

4. निधि तैयारी सहयोग, तकनीकी सहायता से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकार कर सकती है जिसके अन्तर्गत विरासत संरक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, विशेषज्ञों की व्यवस्था, उपस्कर का प्रदाय, तत्काल सहायता और संवर्धन कार्य क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण तथा समर्थन भी है।
5. राष्ट्रीय संस्कृति निधि बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं तैयार रखने का प्रयास करेगी जिन्हें वित्त पोषण की आवश्यकता है और समय-समय पर उनका उन्नयन और उनकी संख्या में वृद्धि करेगी। दाता किसी भी परियोजना का चयन करने और नई परियोजना के वित्त पोषण और समर्थन करने का सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. राष्ट्रीय संस्कृति निधि के किसी दानकर्ता के लिए यह संभव होगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट स्थान/पहलू सहित किसी परियोजना के वित्त पोषण के लिए और परियोजना के निष्पादन के लिए किसी अभिकरण का तब संकेत कर सकता है, जब वह इस निमित्त राष्ट्रीय संस्कृति निधि की साधारण नीति मार्गदर्शक सिद्धान्त और नियम, यदि कोई है, के अधीन रहते हुए दान कर रहा हो। जब दाता की परियोजना में अन्तर्गत विश्व विरासत स्थल हो, तो मामले पर स्थल के आस-पास के वातावरण को ध्यान रखने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए विनिर्दिष्टतः विचार करने की आवश्यकता है, यह तथ्य भी है कि पहले ही उनके लिए पारम्परिक स्रोतों से पर्याप्त निधि उपलब्ध होंगी और कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों पर निधि के जमाव से बचना चाहिए।
7. अनुदान के लिए आवेदन प्रोफार्मा में किए जाएंगे और उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्कृति निधि मार्फत संस्कृति मंत्रालय, 5वीं मंजिल, पुरातत्व भवन, डी-ब्लॉक, जीपीओ कंप्लैक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को भेजे जाने चाहिए।
  - i. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (अधिमामतः फोटो प्रति)।
  - ii. आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित संगठन के संगम ज्ञापन/उप-विधियों की प्रति
  - iii. प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची जिसमें उनकी अर्हताओं और उपजीविकाओं के उल्लेख हों।
  - iv. पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें तथा संपरीक्षित लेखा विवरणों की आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अनुप्रमाणित प्रतियां।

[फा. सं. 1-30/2022-एनसीएफ]

श्री गुरमीत सिंह चावला, संयुक्त सचिव

**नोट:** अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II खंड 3 - उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या S.O.832 (E) दिनांक 28 नवंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF CULTURE

### (Natural Culture Fund)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2024

**S.O.1893(E).**—Whereas the Secretary to the Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Culture, being the person who proposes to apply the funds of the National Fund, New Delhi, in trust for charitable purposes, has applied for vesting the Fund mentioned in Schedule 'A' annexed hereto in the Treasurer of Charitable Endowments for India and for settlement of a Scheme for the management and administration of the said Fund;

It is hereby notified that the Central Government in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and upon the application as aforesaid, and with the concurrence of the said Secretary hereby order that the moneys set out in Schedule 'A' annexed hereto shall, as from the date of publication of this notification in the Official Gazette, be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and his successors in office upon trust to hold the said moneys and the income thereof in accordance with the Trust and terms specified in the Scheme in Schedule 'B', annexed hereto for the management and administration of the said Fund:

And it is hereby further notified that the Scheme specified in Schedule 'B' annexed hereto has, under sub-section (1) of section 5 of the said Act, been settled for the administration of the said Fund and under sub-section (3) of section 5 of the said Act, it is hereby further ordered that it shall come into force from the date of the publication of this Notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE 'A'****National Culture Fund**

Contribution of rupees two crores provided out of the Plan budget of the Department of Culture, Government of India, towards the National Culture Fund.

**SCHEDULE 'B'****Directions for the Administration of the National Culture Fund**

1. Short title and commencement
  - i. These directions may be called the National Culture Fund directions, 1996
  - ii. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. Definitions- In this direction, unless the context otherwise requires –
  - a. "Chairman" means the Chairman of the Council;
  - b. "Committee" means the executive committee constituted under paragraph 11
  - c. "Council" means the Council constituted under paragraph 7;
  - d. "Fund" means the National Culture fund;
  - e. "Member Secretary" means the Member-Secretary of the Council nominated under paragraph 7;
  - f. "paragraph" means the paragraph of the Scheme;
  - g. "President" means the President of the Committee;
  - h. "Properties" means properties belonging to the Fund.
3. Objects of the Fund The objects of the Fund shall be:
  - i. to administer and apply the moneys of the Fund for conservation, maintenance, promotion, protection, preservation and upgradation of monuments protected or otherwise;
  - ii. to conduct studies relating to the artistic, scientific and technical problems involved in the conservation, maintenance, promotion, protection, preservation and rehabilitation of cultural and natural heritage;
  - iii. to impart training to staff and specialists at all levels in the fields of identification, protection, conservation, preservation and rehabilitation of cultural heritage both tangible and intangible as well as the natural heritage;
  - iv. protection and promotion of artistic endeavour in all its forms, particularly innovative experiments in arts;
  - v. the promotion and reinforcement of oral and other intangible forms of cultural expression and recording documentation of forms that are dying out or are threatened with extinction;
  - vi. the promotion and reinforcement of inter-disciplinary research in areas such as interaction between traditional values and development process in the cultural domain that make up the contemporary dynamics of cultural change;
  - vii. the construction of additional space to accommodate new and special galleries in existing museums and construction of new museums;
  - viii. the formulation of local, municipal or regional strategies of cultural development seen as integral to the overall development of our society;
  - ix. the establishment or reinforcement of institutions, structure and facilities whose purpose is cultural or artistic, including mechanisms available for support of such activities;
  - x. the training of specialists in cultural activities, with a particular emphasis on creation of a cadre of cultural managers and administrators;
  - xi. to supply of equipment to governmental and non-governmental organizations with a view to maintain, promote, protect and preserve the cultural and natural heritage;
  - xii. to promote international cultural cooperation in particular exchanges which may promote the development of indigenous expertise and human resources as also the activities which are within the ambit of Cultural Exchange Programmes entered into between India and other countries;
  - xiii. to provide low interest or interest free loans for projects and activities relatable to any of the aforesaid objects.

## 4. Assets of the Fund:

- A. In addition to the moneys the particulars of which are given in Schedule A to this Notification, the assets of the Fund shall include:
- i. rupees seventeen crores and fifty lakhs to be provided out of the Plan Budget of the Department of Culture, Government of India, and
  - ii. all such grants and contributions, both recurring and non-recurring from the Central Government and the State Governments as well as voluntary donations and endowments from any other sources, whenever received.
- B. The Fund may also accept contributions from statutory bodies created under the Acts of Parliament or of the State Legislatures, the United Nations and its associated bodies, other International Organisations, Private and Public Corporate Sectors, Trusts, Societies and individuals:

Provided that the decision of the Council in case of acceptance or otherwise of money from an individual or an Organisation shall be final.

5. Vesting of the assets of the Fund: The assets of the Fund shall be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India under the Scheme.
6. The Treasurer of Charitable Endowments shall not act in the management or administration of the Fund but subject to any general or special directions given by the Central Government such management and administration shall be vested in the Council.
7. Constitution of the Council – For the management and administration of the Fund, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Council consisting of the following members, namely: -

A.	1.	Hon'ble Minister of Culture	Chairman (Ex-officio)
	2.	Secretary to the Government of India, Ministry of Culture	Member (Ex-officio)
	3.	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Culture	Member (Ex-officio)
	4.	Financial Adviser Ministry of Culture	Member (Ex-officio)
	5.	Director General Archaeological Survey of India	Member (Ex-officio)

Non-official members

6. Not less than 12 and not more than 19 eminent persons representing various fields including corporate sector, private foundations and not-for-profit voluntary organizations
  7. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Culture
- B. From amongst the non-official Members, one Member may be nominated as the Vice-Chairperson and one Member as the Joint Secretary to the Council
8. Meetings of the Council : The Council shall meet once in a year to decide all policy matters or on issues relating to the Fund on which its decisions are sought by the Committee.
9. Quorum of the meetings of the Council and decisions of the Council:
- i. The quorum for a meeting of the Council shall be  $\frac{2}{3}$ <sup>rd</sup> of the strength of the Council of which at least 3 should be ex-officio members including the Chairman.
  - ii. All matters on which decision of Council is required shall be decided by consensus failing which by majority of votes of the members present and voting on the question and in case of equality of votes, the Chairman shall have a casting vote.

10. Conduct of business of the Council:
- i. The Council may function notwithstanding any vacancy in its constitution provided, however, that at no time the number of vacancies shall be such that the total number of Members is less than the quorum required for a meeting of the Council.
  - ii. Subject to the provisions herein contained, the Council may, with the previous approval of the Central Government, frame and vary from time to time, as it thinks fit, bye-laws for the conduct of its business.
11. Executive Committee: For the administration of day-to-day working of the Fund, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute an Executive Committee consisting of following members:
- |     |  |                                  |
|-----|--|----------------------------------|
| (1) | Secretary to the Government of India, Ministry of Culture  | President (Ex-officio)           |
| (2) | Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Culture  | Member (Ex-officio)              |
| (3) | Financial Adviser, Ministry of Culture   | Member (Ex-officio)              |
| (4) | Director General<br>Archaeological Survey of India   | Member (Ex-officio)              |
| (5) | 6 Members of the Council to be nominated keeping in view their experience in management and fund raising | Members                          |
| (6) | Member-Secretary of the Council  | Member Secretary<br>(Ex-officio) |
- The Executive Committee shall have the authority to call upon the experts to assist it in its deliberations.
12. Quorum:
- i. The quorum for a meeting of the Executive Committee shall be 2/3<sup>rd</sup> of the strength of the Committee of which at least 2 should be ex-officio members including the President.
  - ii. all matters on which the decision of the Committee is required shall be decided by consensus failing which by majority of votes of the members present and voting on the question and in case of equality of votes, the President shall have a casting vote.
13. Meetings of the Committee: The Committee shall meet as often as necessary but not less than four time in a year.
14. Framing of bye-laws: The Council may from time to time, with the previous approval of the Central Government, make bye-laws: -
- a. for regulation, management, appointment of officers and their terms and conditions and for any other purpose connected with the execution and management of the objects of the Fund; and
  - b. for the conduct of business of the Council.
15. Investment:
- a. The Council shall decide on the overall policy of investment of the Fund. The Committee shall invest the assets of the Fund in any one or more of the mode of investments for the time being authorized by law for the investment of the trust money as the Committee may think proper.
  - b. Short term investment: The Committee may invest moneys of the Fund not immediately required on short term basis in fixed deposits/certificates
16. Delegation of powers:
- i. The Council may delegate any of its powers excluding the power to decide policy matters and the power to frame bye-laws to the Committee.
  - ii. The Committee may delegate to one of its members or a sub-committees created for the purpose such as its powers as may, in the opinion of the Committee, are required to be exercised merely for ministerial acts involving no discretion or are considered necessary conforming to common usage.
17. Contracts: All contracts and other assurances shall be executed in the name of the Council and signed on their behalf by the Joint Secretary, in-charge of National Culture Fund, Ministry of Culture, in his capacity as the Member of the Council, or any Member of the Committee duly authorized by the Council.

18. Additional endowments:
  - i. The Council may accept any endowment, donation crowd funding or other contributions in augmentation of the Fund or towards actualization of any of its objects.
  - ii. The Council may also accept endowments, donations or other contributions for any special purpose connected with any of the Schemes not inconsistent with or calculated to impede the due working of the provisions of the Scheme.
  - iii. It would be possible for a donor to the Fund to indicate a project along with any specific location/aspect for funding and also an agency for the execution of the project while making donations to Fund subject to general policy guidelines and rules, if any, in this behalf. The Council or the Committee in case the power to accept endowments, donations or other contributions have been delegated to it, shall respect the choice of the donor to the extent possible. When a donor's project covers a World Heritage Site the matter would need to be specifically considered keeping in view the need to take care of the environment surrounding the site, as also the fact that adequate funds for it might already be available from conventional sources.
19. Eligibility of financial assistance: Any State Government or voluntary organization with a known record of service in the field of art and culture and registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) or registered as Public Trust at least for the last two years will be eligible for applying for financial assistance from the Fund for a specific project. Individuals are not entitled to financial assistance under this Scheme.
20. Application to Council: Applications for financial assistance from or under the Fund from voluntary organizations shall be in the Form specified in Appendix annexed to this Scheme.
21. The Financial assistance or the loans under the Fund shall be decided by the Committee taking into consideration the project, the status of the executing body as also the wishes of the donors: Provided that there should be no upper limit of financial assistance under the Fund.
22. Consideration of Application: All applications for financial assistance or the loans from the Fund shall be considered and disposed of by the Committee and the Council shall be informed about such decisions:

Provided that before any application is considered, the President of the Committee, if he thinks it necessary to do so, refer such application to the State Government concerned or any other body for expressing its views thereon.
23. Power to stop financial assistance: The President of the Committee, if he thinks it necessary to do so, and for reasons to be recorded in writing, may withhold or reduce any undisbursed financial assistance, made under the Scheme.
24. Conditions of financial assistance : It shall be the condition of financial assistance to any voluntary organization that the voluntary organization that the voluntary organization or as the case may be, maintain a separate account of the financial assistance received, render a full account of the financial assistance within the stipulated time, shall furnish utilization certificate at the time specified in this behalf, shall make available audited accounts of the financial assistance received within the stipulated time and assist the officers of the Fund or such other Officers who may be so authorized in this behalf in the inspection of the programmes executed or books maintained by such organizations.
25. Duration of Membership:
  1. A member of the Council or Committee shall cease to be a Member if he dies or resigns his membership or becomes of unsound mind or insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude.
  2. The nominations of non-official members on the Council and the Committee shall be done by the Central Government in the Ministry of Culture
  3. A non-official Member shall be appointed for a period of three years.
  4. A member shall be eligible for re-nomination also.
26. Powers and Functions of Member Secretary: It shall be duty of the Member Secretary:
  - a. to be the custodian of all records of the Council and Committee;
  - b. to conduct the official correspondence on behalf of the Council and Committee;
  - c. to issue all notices for convening the meetings of the Council and Committee;
  - d. to keep minutes of all meetings of the Council and Committee and of such other bodies, the responsibilities for convening whose meetings rest with him;

- e. to manage the properties of the moneys under the Fund, to maintain accounts and execute all contracts on behalf of the Council;
- f. to prepare the budget relating to the administrative expenses of the Council and Committee such as expenditure on travelling allowances and daily allowances of the members which shall be a legitimate charge on the Fund;
- g. to exercise all other powers and execute such other functions as may be assigned to him by the Council and/or Committee.
27. Allocation of funds: The Committee shall determine the proportion of the total moneys of the Fund which shall be applied for the purpose of this Scheme in a particular financial year.
28. Withdrawal of fund:
- i. withdrawal of funds from the accounts of the Council shall be regulated in a manner to be determined by the Committee.
- ii. Such withdrawals shall be made by cheques / RTGS or requisitions (as the case may be) signed by the Member-Secretary in case the amount does not exceed Rs.2,00,000/- and duly signed by Member Secretary and another member authorized by the Committee in other cases.
29. The Committee may delegate any administrative or financial powers to a person or persons as it may consider necessary for the discharge of its functions and such persons shall draw remuneration and travelling allowances as may be determined by the Committee in each case.
30. Remuneration to members and officers:
- i. No remuneration shall be paid to any of the members of the Council and Committee except travelling and daily allowance at rates to be determined by the Council.
- ii. Official members of the Council and Committee will draw travelling and daily allowance, as admissible to them, from the source from which they draw their salaries.
- iii. Non-official members of the Council and Committee will be entitled to draw such remuneration and travelling and other allowances as may be specified by the Council in bye-laws made by it.
31. Audit of accounts:
- i. Accounts of all moneys and properties and of income and expenditure of the Fund shall be maintained by the Member Secretary and audited by the Comptroller and Auditor General of India who shall certify that the expenditure from the Fund has been incurred in accordance with the provisions of this Scheme.
- ii. A statement of the annual accounts of the Fund shall be approved by the Council and after the same has been audited and certified by the Comptroller and Auditor General of India and approved by the Council shall be submitted by the Member Secretary of the Council to the Government of India every year. These accounts shall be laid on the Table of the House.
32. Annual report: A report on the working of the National Culture Fund of every year shall be prepared in the month of June by the Member Secretary of the Council and after approval of the Council, presented to the Government of India. This report shall be laid on the table of the house of Parliament.

#### APPENDIX

(See para 20 of Schedule B)

#### National Culture fund 1996

#### Standard Form for Submission of Requests

1.	Name and address of the organization*	
2.	Nature of the organization	
3.	Date of establishment of the organization	
4.	Brief history and a brief account of activities of the organization since its inception (Attach separate sheet, if necessary)	

5.	Whether the organization is registered under any law for the time being in force? If so, the details thereof.	
6.	Whether the organisation is of National/State/District level	
7.	Whether the organization is in receipt of assistance from the Ministry of Culture or any other Ministry/Department of the Govt. of India? If so, the details thereof.	
8.	Whether the organization is in receipt of assistance from the Central Government including autonomous bodies under it, as also the statutory bodies, for any Programme? If so, the details thereof.	
9.	Whether the organization is in receipt of assistance from the State Government for any Programme? If so, the details thereof including amount, year and purpose separately for each grant.	
10.	Whether the organization receives grant from any autonomous organization of the Ministry of Culture? If so, the details thereof, including amount, year and purpose separately for each grant.	
11.	Whether the organization receives grants in cash or kind from any other organization in India or in a foreign country? If so, the details thereof. *Organisation(s) where appears in the proforma also include the State Government.	
12.	<p>Details of the proposal:</p> <p>a. Title of the project and place of implementation          _____          _____          _____</p> <p>b. Project implementation dates:          i. date of commencement          ii. date of termination</p> <p>c. Type of assistance requested financial contribution          i. Study/Research and further training grants          ii. Publications, periodicals &amp; documentation          iii. Equipment          iv. Conference/meeting or seminar          v. Conservation/maintenance/upgradation of monuments including incidental landscape/environment upgradation          vi. Exhibition/Theatre productions/Cultural performance          vii. Consultancy Service          viii. Building grants          ix. Loans          x. Travel Subsidy          xi. Any other item(s)</p>	
13	Financial contribution of the recipient organization. Amount of financial assistance sought from the National Culture Fund.	
14.	Description of the Project	
15.	Activities to which this Project relates (Please see objects of	



	the Fund) _____ _____ _____	
16.	Geographical coverage of the Project International Nationa Inter-Stat State District	
17.	Name of the body responsible for executing the Project	
18.	Beneficiary Institution(s)	
19.	Attested copies of the following documents to be attached with the application: i. Registration certificate ii. Constitution of the organization, articles of memorandum, and aims and objectives iii. Annual reports of last two years (a separate report for each year). This report should briefly describe each programme undertaken and the physical targets achieved for each. The location of the projects/activities should also be mentioned. iv. List of present members/office bearers of the Board of Management/Executive Committee, date on which it was constituted, present tenure (give dates) v. Staff of the organization (give names, scale of pay, present emoluments) vi. Audited statement of accounts of the entire organization; a. Balance sheet (b) income and expenditure account; and (c) receipt and payment account certified by a Chartered Accountant or a Government Auditor. b. The statement should be furnished for the last two years vii. Any other papers the organization would like to attach.	

Without of any information or furnishing incorrect information can lead to cancellation of sanction/recovery of grant and/or action under the law.

Signature of Secretary of the organization

Name \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

See Note attached for further details

**NOTE**

1. National Culture Fund aims at sanctioning grants to Government and non-Government organizations largely out of interest accrued on the Corpus Fund and out of the contributions of the donors.
2. Assistance under the National Culture Fund will be given to Government or non-Government organizations to foster India's contemporary culture as well as cultural heritage and to bring both within the reach of the largest possible number of its citizens.
3. Assistance under the Fund is not available to those Government or non-Government organizations who are already on receipt of financial assistance from attached/sub ordinate offices or autonomous organizations under the Ministry of Culture under any scheme.
4. The Fund could accept projects relating to preparatory assistance, technical cooperation including studies of problems on heritage protection, provision of experts, supply of equipment, emergency assistance, training and support for promotional activities.
5. NCF shall strive to keep in readiness a large number of projects requiring funding and shall, from time to time, renew, upgrade and add to them. The donors would be free to choose any projects or suggest new ones for funding and support.
6. It would be possible for a donor to NCF to indicate a project along with any specific location/aspect for funding and also an agency for execution of the project while making donations to NCF subject to general policy guidelines and rules, if any, in this behalf. The NCF shall respect the choice of the donor to the extent possible. When a donor's project covers a World Heritage Site the matter would need to be specifically considered keeping in view the need to take care of environment surrounding the site, as also the fact that adequate funding for them could be already available from conventional sources and concentration of funds on a few important monuments should be avoided
7. Application for grant in the proforma accompanied by the following documents should be sent to the Member Secretary, The National Culture Fund C/o Ministry of Culture, 5<sup>th</sup> Floor, Puratatva Bhavan, D-Block, I.N.A., New Delhi-110023.
  - i. A copy (preferably photocopy) of the registration Certificate duly attested by a Gazetted Officer.
  - ii. A copy of the Memorandum of Association/By-Laws of the Organisation duly signed/attested by the applicant.
  - iii. List of members of the managing Committee with their qualifications and occupations.
  - iv. Copies of annual reports and audited statements of accounts for the last two years duly signed/attached by the applicant.

[F.No.1-30/2022-NCF]

SHRI. GURMEET SINGH CHAWLA, Jt. Secy.

**Note:** The notification was published in the gazette of India, Extraordinary, part-II section 3- sub-section (ii) vide notification number S.O.832(E) dated 28th November, 1996